He Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 2012/माघ 13, 1933

No. 190]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 2012/MAGHA 13, 1933

श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2012

का.आ. 215(अ). केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 9 मई, 2008 को प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1122(अ), दिनांक 9 मई, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में "धारा 4 के खण्ड (च) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नियोक्ताओं के संगठनों के परामर्श से नियुक्त" शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 33 के सामने निम्निलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

> क्रम संख्या 33— श्री जी. पी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार, एसोचैम, I-10, सैक्टर-22, नोएडा (उत्तर प्रदेश)

[फा. सं. यू-16012/3/2007-एसएस-I]

रवि माथर, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2012

S.O. 215(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1122(E), dated the 9th May, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th May, 2008.

In the said notification under the heading "Appointed by the Central Government under clause (f) of Section 4 in consultation with organisations of employers recognised by the Central Government for the purpose" against Sl. No. 33, the following entries shall be substituted, namely:—

Sl. No. 33— Shri G.P. Srivastava, Senior Advisor, ASSOCHAM, I-10, Sector-22, NOIDA (U.P.)

> [F. No. U-16012/3/2007-SS-I] RAVI MATHUR, Addl. Secy.